RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-03
March-2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[UGC Listed Journal]

राष्ट्र निर्माण और डा० अम्बेडकर

दिनेश कुमार

सहायक प्रवक्ता राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय जखोली जनपद – रूदप्राद (उतराखण्ड)

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 13 March2019

Keywords
महिला शोषण, सशक्तिकरण, समाज, राष्ट्र, लैंगिंग असमानता आदि।

ABSTRACT

डा० अम्बेडकर ने अपने समकालीनों के विपरीत भारत माता की अवधारणा को खारिज किया । उन्होने 'बहिष्कृत भारत' का विचार दिया, जो टुकडों में बटे इस देशे के यर्थाथ को प्रतिबिंबित करता था । भारत विभिन्न समुदायों और पहचानों का देश था । उस समय में तिलक तथा अन्य लोगों ने राष्ट्र को एक करने के लिए 'भारत माता की जय' और 'वंदें मातरम्' जैंसे नारों का उद्घोष किया । इन राष्ट्रवादियों को मनुवाद से कोई तकलीफ नही थी और वे साम्राज्यवादी सत्ता द्वारा महिलाओं की थिति में सुधार के हर प्रयास का पुरजोर विरोध करते थे । तिलक ने भारतीय संस्कृति की रक्षा के नाम पर 'ऐज आफ कंसेट' (वह आयु, जिसके बाद किसी व्यक्ति द्वारा किसी लडकी से यौन संबंध स्थापित करने की स्वीकृति को कानुनी वैधता प्राप्त होती है) अधिनियम का कडा विरोध किया । इस प्रकार, राजनीति के क्षेत्र में लैंगिक के श्रेणीक्रम का बोलबाला था ।

परिचयः–

भारत राष्ट्र की आधी आबादी को लिंग के आधार पर अनदेखा किया गया। महिलाओ की राजनीति , समाज, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में अनदेखी की जाती थी । इस तरह देश में हिन्दू सांस्कृतिक और धार्मिक वर्थस्व तो कायम रहा, जाति व्यवस्था भी कायम रही । हालांकि, अंग्रेजों के आने के बाद, भारतीय समाज को मजबूर होकर राष्ट्र और नागरिकता जैसी अवधारणाओं को स्वीकार करना पडा । सर रार्बट होप रिजले के अनुसार, इतिहास यह मानने का कोई कारण नही देता कि स्याह और पतित परिस्थितियों में राष्ट्रवाद का अलख जगाया जा सकता है । जो समाज अपनी नारियों को मुलतः बौद्रिक दृष्टि से शुन्य और नैतिक दृष्टि से अकर्मण्य मानता है वह साहस, निष्ठा और आत्मोत्सर्ग जैसे गुणों, जो राष्ट्रनिर्माण में अहम भूमिका निभाते है, के विकास की आशा नही कर सकता । राष्ट्र का विचार कैसा उभरा, इसका अध्ययन करते हुए, डा० अम्बेडकर ने राष्ट्रीयता एक सैद्वान्तिक ढांचें का विकास किया । उन्होने भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका पर गहन मनन किया ।

राष्ट्रवाद व महिलाः–

भारत में महिलाओं के दमन और नर्णय प्रक्रिया से उनको अंतर्विवाह, बालविवाह, कन्या भ्रुण हत्या और सती जैसी घातक प्रथाओं का जन्म हुआ । इन बुराईयों के सामाजिक ही नही बल्कि राजनैतिक दुष्परिणाम भी हुए और देश की लगभग आधी आबादी के लिए राजनीति में प्रवेश निषेध हो गया डा० अम्बेडकर का कहना था कि, ''महिला जिस तरह से राष्ट्रवाद की जन्यदात्री और पोषक रही है, उस तरह पुरूष कभी नही हो सकते । राष्ट्रवाद को गति देने में महिलाओं की भूमिका को पर्याप्त तवज्जों नही दी गयी ।

अम्बेडकर के लिए राष्ट्र सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक विचार भी था । उन्होने लिखा 'सामाजिक एकजुटता के बगैर राजनीतिक एकता हासिल करना मुश्किल होगा । अगर वह हासिल कर भी ली जाती है तो उसका बच पाना उतना ही अनिश्चित होगा, जितना कि गर्मी में लगाये गए एक छोटे से पौधे का, जिसे प्रतिकूल दुनिया की हवा का एक झौंका कभी भी उखाड देगा । मिश्रित और सांझा संस्कृति और नागरिको वाले राज्यों को बाहरी आक्रमणों से उतना खतरा नही है जितना कि जबरन लादे जाने वाले दमित और खंडित राष्ट्रीयताओं के पुनरूत्थान से! अंबेडकर कहते हैं कि ''महिलाओं की तुलना में पुरूषों हमेशा से अधिक शक्ति सम्पन रहे है ।'' हर समूह में उनका बोलबाला रहा है । और दोनो लिंगो में से हमेशा उनकी अधिक प्रतिष्ठा रही है।

लिंग असमानताः–

महिलाओं पर पुरूषों की इसी उच्चता धार्मिक, सामाजिक और महिलाए हमेशा हर तरह के अन्यायपूर्ण धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक प्रतिबंधों का शिकार बनती रही । उनका मानना था कि, ''भारत में

RRIJM 2015, All Rights Reserved

पितृसतात्मकता की शुरूआत पुरूषों द्वारा अपने परिवार की महिलाओं को निंयत्रित करने से हुई होगी, परंतु कालांतर में उसने जाति व्यवस्था को पुष्ट और चिरस्थाई बनाया । अब पितृसतात्मकता को बनाये रखने के लिए जाति व्यवस्था का बना रहना जरूरी बन गया है । जातिगत और लैंगिक सामाजिक संबंधों को बल प्रयोग से जस का तस बनाए रखा गया । इस बल के कई आयाम हो सकते है ।

वह प्रत्यक्ष और सीधे आदेशों के रूप में भी हो सकता है । और इस अर्थ मे भी कि वह महिलाओं को उनके लिए निर्धारित दायरें के बाहर के मुद्दों को उठाने की अनुमति न दें । गॉधी ने अनेक आंदोलनो में महिलाओं के शामिल होने का अहवाल किया । गॉधी ने पर्दा प्रथा पर भी सवाल उठायें । लेकिन गॉधी ने महिलाओं को चरखे तक ही सीमित रखा । हालांकि गॉधी, पुरूष-महिला के बीच भेद करते रहे । वे वर्णाश्रम धर्म के समर्थक थे, जिसने वर्णाश्रम के सिद्वान्तों का समर्थन किया । उनके लिए महिलाओं की राष्ट्रीय जागरण में भी भागीदारी का अर्थ था घर में चरखे पर सुत कातना । डा० अंबेडकर मानते थे, जब तक महिलाओं को एक व्यक्ति के रूप में उनके अधिकार और सुरक्षा नही मिलेगी तब तक भारत लोकतांत्रिक राष्ट्र नही बन सकेगा ।

अवसरों में समान हिस्सेदारीः-

अम्बेडकर उनके अनुसार महिलाओं का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में सामान योगदान होना अति अनिवार्य है । डा० अंबेडकर का दृढ विश्वास था कि व्यक्तियों का कोई समूह राष्ट्र तभी बन सकता है । जब तक स्वतन्तत्रा, समानता, भाईचारे और न्याय के आदर्शो की स्थापना के लिए संघर्ष करे । सभी नागरिको को यह महसूस होना चाहिए कि उन्हे राष्ट्र की संपत्ति, सत्ता और अवसरो में समान हिस्सेदारी हासिल है । उनको ऐसा नही लगना चाहिए कि इससे लोग उन्हें सामाजिक लाभों से वंचित कर रहे है ।

राष्ट्र व मानवताः-

अम्बेडकर इस तरह का सामाज ही विभिन्न भाषाओं, धर्म और आदतो के होते हुए भी एक राष्ट्र का निर्माण कर सकता है । अंबेडकर ने लोगो को अंधभक्ति के खिलाफ चेताया । उन्होने कहा कि राजनैतिक नामको की भक्ति की बजाय लोगों की सेवा बेहतर है । उनका विचार था कि भक्ति, आत्मा की मुक्ति का साधन तो हो सकती है । लेकिन राजनैतिक नायको की भक्ति, पतन और अंततः तानाशाही का मार्ग पुशस्त करती है । उनका तर्क था कि राजनैतिक नायको की भक्ति, सार्वजनिक हित की भावना मार देती है । क्योकि ये नायक केवल उनके भक्तों की चिंता करते है । और मानवता के हितों की उपेक्षा।

सामाजिक व राजनीतिक दृष्टिकोणः-

उन्होने भारत की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक समस्याओं का लोकतांत्रिक मानवतावादी तरीकों से करने का प्रयास किया । हालांकि वे उच्च शिक्षित थे और पश्चिम संस्कृति से प्रभावित थें, फिर भी उन्होने हमारी संस्कृति और सभ्यता के अच्छे तत्वों का सरंक्षण करते हुए सांस्कृतिक पुनर्जागरण पर जोर दिया।

सविधांन निर्माण के दौरान उन्होने लोकतंत्र को बदलाव के एक उपकरण के रूप में देखा । सविधांन केवल सरकार के लिए नही था बल्कि वह समाज के लिए भी था और आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों को प्रभावित करता है । सविधान ने एक व्यक्ति एक मत एक मुल्य के सिद्वांतों का प्रतिपादन किया और पुरूषों के साथ महिलाओं को भी मत का अधिकार दिया गया । इस तरह, अंबेडकर ने महिलाओं की पहचान को स्वायत और पुरूषों के समकक्ष दर्जा दिया। वे एक प्रगतिशील और क्रान्तिकारी सोच वाले व्यक्ति थे । जिनके आसपास मिथक, परस्परॉए और धार्मिक मान्यतॉए, तार्किकता पर भारी पड रही थी । ऐसी परिस्थितियों में अंबेडकर ने राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में महिलाओं को शामिल करके एक शक्तिशाली राष्ट्र की नींव रखी।

निष्कर्षः-

अंबेडकर के विचार में एक सशक्त राष्ट्र का केन्द्र बिंदू है व्यक्ति की विशिष्ट पहचान-फिर चाहे वह व्यक्ति महिला हो या फिर अनुसुचित जाति या अनुसुचित जनजाति अन्य पिछडा वर्ग या धार्मिक अल्प संख्यक। व्यक्ति की विशिष्ट पहचान व स्थान, समुदाय, राष्ट्रीयता और मानवता से जुडी रहती है । सामाजिक और राजनीतिक सोच, जो पहचान से जुडी रहती है । उदाहरण के लिए, स्वतन्त्रता की अवधारणा तभी महत्वपूर्ण है जब राष्ट्र का विचार ''शिक्षित बनों, संगठित रहों, संघर्ष करो'' के नारें का मकसद न सिर्फ जनता को नैतिकता का बोध कराना था बल्कि भारतीय महिलाओं को अपनी बात कहने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने के लिए शक्ति संपन्न बनाना भी था । कोई राष्ट्र तभी प्रगति कर सकता है ,जब उसकी महिलॉए भी प्रगति करे ।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

सन्दर्भ ग्रन्थ सूचीः-

1. सर हबेटे हॉप सिसले, '' द पीपल ऑफ इंडिया'' १६६६, डब्ल्यू क्रुक (संपादित), ओरिएंटल बुक्स रीप्रिंट कारपोरेशन, दिल्ली, पृ० १७१
2. बी. आर. अंबेडकर, ''पाकिस्तान आर पार्टीशन ऑफ इंडिया'', डा० बाबा साहेब अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस, खंड ८ , गवर्नमेंट ऑफ महराष्ट्र, (१६६०) बंबई पृ० २४३
3. उपरोक्त, पृ० १६३-१६४
4. बी. आर. अंबेडकर, ''कास्ट इन इंडिया देयर जेनेसिस, मैकेनिजम एंड डेवलेपेंट'' (२०१३), क्रिटिकल कवेस्ट, नई दिल्ली
5. वंदना सोनलकर, ''एन एजेंडा फार जेंडर पालिटिकस,'' इकानोमिक एंड पालिटिकल वीकली, खंड ३४ए नम्बर १/२ सी.२-१५ जनवरी, (१६६६) पृ० २४
6. वसंत कमाबिरन एंव कल्पना कन्नाबिरन, ''कास्ट एंड जेंडर अंडरस्टैडिंग डायनामिक्स ऑफ पावर एंड वामलेंस'', इकानोमिक एंड पालिटिकल वीकली, सितंबर, १६६१, पृ० २५३
7. सुजाता पटेल, ''कस्टरकसन एंड रिकंस्टरकशन आफ वुमन इन गॉधी, ''इकानोमिक एंड पालिटिकल वीकली, खंड २३, नवम्बर ८ (फरवरी २०, १६८८), पृ० ३७८
8. डा० प्रदीप अग्लावें, ''डा० अंबेडकर आन नेशन एंड नेशनलिज्य,''डा० अंबेडकर चेयर, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजा यूनिवर्सिटी, विश्वद्यिालय द्वारा प्रकाशित (२०१४) नागपुर, पृ० १२
9. कांस्टीटूएंट असेंबली डिबेट्स (२००३), खंड ११, लोक सभा सचिवालय द्वारा पुनर्मुद्रित, नई दिल्ली पृ० १२

RRIJM 2015, All Rights Reserved